न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 308/2025

लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इंडिया) फिनलीजकेप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय 2, डीएफएल टॉवर, गोपीनाथ मार्ग, एम आई रोड़ जयपुर–302001 में स्थित व कार्यरत हैं जरिये प्राधिकृत अधिकारी आनन्द राव

–– प्रार्थी

बनाम

1. वेद कोरी पत्नी श्री मूलचन्द पता– वार्ड नं0 3 सीथल, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं राजस्थान, अन्य पताः– पट्टा नं0 40, ग्राम खोदीप पंचायत खादीप, तहसील भड़ेसर, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
2. मनोज कुमार खेदड़ पुत्र श्री मूलचंद, पता– खेदड़ों की ढाणी, वार्ड नं0 3 सीथल, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं राजस्थान।
3. दिलीप सिंह खेदड़ पुत्र श्री मूलचंद, पता– खेदड़ों की ढाणी, वार्ड नं0 3, सीथल, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं राजस्थान।
4. मंजू देवी पत्नी श्री मनोज कुमार खेदड़ पता– खेदड़ों की ढाणी, वार्ड नं0 3 सीथल, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं राजस्थान।
5. सरोज देवी पत्नी श्री दिलीप सिंह खेदड़, पता– खेदड़ों की ढाणी, वार्ड नं0 3 सीथल, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं राजस्थान।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

––

उपस्थितः–
एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा– प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक 21.08.2025

प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इंडिया) फिनलीजकेप प्राइवेट लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटैड (पूर्व में लक्ष्मी इंडिया) फिनलीजकेप प्राइवेट लिमिटैड के नाम से ज्ञात) जो कि भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत गठित कम्पनी व भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय–2 डी, एफल एल टॉवर, गोपीनाथ मार्ग एम.आई रोड़ जयपुर में स्थित व कार्यरत है जिसको शाश्वत अधिकार व सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी आनन्द राव है तथा जिनके हक में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा रिजोल्यूशन पारित किया हुआ है। उक्त अद्योहस्ताक्षरकर्ता वित्तीय संस्था के रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्यों से भलीभांति परिचित है व उनको प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से साक्ष्य देने व प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर व सत्यापन करने का अधिकार है। इन्हें प्रार्थना पत्र के निपटारे तक समस्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी कंपनी लेखा परीक्षित तुलन पत्र (last audited balance sheet) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, की धारा 45–झ के खंड (च) में यथा निर्धारित एक सौ करोड़ रुपये से अधिक की आस्ति वाली गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनी है जिसको केन्द्रीय सरकार के वित मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वारा दिनांक 24.02.2020 को जारी अधिसूचना संख्या का0आ0 856 (अ) एवं दिनांक 12.02.2021 को जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 652(अ) के द्वारा बीस लाख रुपये और उससे अधिक के सभी प्रतिभूत ऋणों के संबंध में प्रतिभूति हित को लागू करने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 2 के खण्ड (ड) के उप खण्ड (iv) के तहत संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट किया

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

गया हैं। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने प्रार्थी वित्तीय संस्था के साथ दिनांक 31.01.2022 को ऋण अनुबन्ध खाता संख्या RPL-247 निष्पादित कर रुपये 20,00,000/–(अक्षरे बीस लाख रुपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने ऋण मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपने स्वामित्व की अचल सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में साम्यिक बंधक किया हुआ है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

बंधक सम्पत्ति का विवरण

वेद कोरी पत्नी श्री मूलचंद की अचल सम्पत्ति जो कि आवासीय प्लॉट खसरा न. 1781/398 ग्राम टोडी पंचायत टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं राजस्थान पर स्थित है जिसके भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका कुल क्षेत्रफल 0.500 वर्गमीटर है जिसकी चतुर्सीमायें निम्न प्रकार हैः–

पूर्व में :– नेमीचंद की कृषि भूमि
पश्चिम में :– ताराचंद की भूमि
उत्तर में :– ताराचंद की भूमि
दक्षिण में :– गुढ़ा नवलगढ़ सड़क

अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर ऋण खाता को दिनांक 13.01.2025 प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अकियान्वित आस्ति (एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाता में बकाया रुपये 27,03,057/–(अक्षरे सत्ताईस लाख तीन हजार सतावन रुपये मात्र) दिनांक 04.03.2025 तक शेष देय है व दिनांक 05.03.2025 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इंडिया) फिनलीजकेप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के द्वारा उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 09.03.2025 को डिमाण्ड नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया एवं डिमाण्ड नोटिस का सार दो समाचार पत्रों में प्रकाशित भी करवाया गया जिसके बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा नियत समयावधि में उपरोक्त बकाया देय राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं किया। अप्रार्थीगण द्वारा मियाद अवधि 60 दिवस पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही किया है। अतः उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी वित्तीय संस्था उक्त चरण संख्या 3 में वर्णित बंधकशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त बकाया देय राशि को वसूलने का अधिकारी है। उक्त चरण संख्या 3 में वर्णित सिक्यूरिटी बंधक सम्पत्ति पर ताले लगे होने की स्थिति में सम्पत्ति पर लगे तालों को तोड़ा जाकर कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर देय राशि वसूल करने का आदेश फरमाए जाने की कृपा करे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित अप्रार्थीगण की अचल सम्पत्ति का कब्जा जरिये पुलिस इमदाद अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इंडिया) फिनलीजकेप प्राइवेट लिमिटेड का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इंडिया) फिनलीजकेप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इंडिया) फिनलीजकेप प्राइवेट लिमिटेड को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

हमने प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इंडिया) फिनलीजकेप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इंडिया) फिनलीजकेप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इंडिया) फिनलीजकेप प्राइवेट लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इंडिया) फिनलीजकेप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इंडिया) फिनलीजकेप प्राइवेट लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इंडिया) फिनलीजकेप प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इंडिया) फिनलीजकेप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई वेद कोरी पत्नी श्री मूलचंद की अचल सम्पत्ति जो कि आवासीय प्लॉट खसरा नं0 1781/398 ग्राम टोडी, पंचायत टोडी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, राजस्थान पर स्थित है जिसके भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका कुल क्षेत्रफल 0.500 वर्गमीटर है का पजेशन प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इंडिया) फिनलीजकेप प्राइवेट लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इंडिया) फिनलीजकेप प्राइवेट लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 21.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं